PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

अधिशासी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी (EO-RO) भर्ती परीक्षा : 2022–23

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

- महत्वपूर्ण धाराएं
- महत्वपूर्ण तथ्य
- महत्वपूर्ण दंड व जुर्माने

भाग-ब का विस्तृत अध्ययन करने के लिए परख टीम द्वारा प्रस्तुत विवरणात्मक (भाग-1) एवं वस्तुनिष्ठ (भाग-2) पुस्तक अमेजन, फ्लिप्कार्ट एवं अपने नजदीकी बुक स्टोर से प्राप्त की जा सकती है |

आपकी अपनी सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत...

रोहिताश कुंतल
पवन शर्मा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही अधिशासी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी भर्ती परीक्षा में शामिल राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की महत्वपूर्ण धाराओं और तथ्यों का एक संकलन आपकी तैयारी को सुगठित बनाने के साथ-साथ अंतिम रूप देने के उद्देश्य से **"परख टीम"** के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि यदि परीक्षा से कुछ घंटे पहले भी इन्हें पढ़ लिया जाए तो निश्चित रूप से यह आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

इन प्रावधानों के विस्तृत और सहज अध्ययन के लिए आप **"परख टीम"** द्वारा प्रस्तुत अधिशासी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी भर्ती परीक्षा पुस्तक (**भाग-1: थ्योरी, भाग-2: ऑब्जेक्टिव**) **अमेज़न, फ्लिप्कार्ट या अपने नजदीकी बुक स्टोर** से खरीद सकते हैं।

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

महत्वपूर्ण धाराएं

- ✓ **धारा – 3 :** यह नगरपालिकाओं के नगरपालिका परिसीमन (निर्धारण) से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 5 :** यह नगरपालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 11 :** यह नगरपालिका के निर्वाचन से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 13 :** यह प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के निर्माण से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 21 :** इसका संबंध नगरपालिका सदस्य होने के लिए अर्हताओं से है।
- ✓ **धारा – 21(क) :** यह कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता से संबंधित है। इन स्थानों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा विशेष प्रयोजनों हेतु किया जाता है।
- ✓ **धारा – 22 :** यह धारा एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाती है।
- ✓ **धारा – 24 :** इसमें नगरपालिका सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताओं की चर्चा की गई है।

- ✓ **धारा – 25 :** यह धारा मतदान के अधिकार से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 28 :** यह धारा निर्वाचन अपराधों से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 31 :** यह निर्वाचन याचिका से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 37 :** यह पद की शपथ से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 39 :** यह धारा नगरपालिका के किसी सदस्य को हटाए जाने से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 43, 44, 48 और 53 :** यह नगरपालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रावधान। उनके निर्वाचन की विधि मान्यता संबंधी प्रश्नों से संबंधित। उनके कृत्य एवं कर्तव्य। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव।
- ✓ **धारा - 49:** यह धारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है।
- ✓ **धारा - 50 :** यह धारा विभिन्न पदों के कार्यभार को अन्य पदधारी/व्यक्ति को सौंपे जाने से संबंधित है।
- ✓ **धारा - 52 :** यह धारा नगरपालिका सदस्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों से संबंधित है।
- ✓ **धारा - 54, 55, 56 और 58 :** वार्ड समितियों का गठन। वार्ड समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों का गठन।
- ✓ **धारा - 63 :** यह धारा नगरपालिका द्वारा किए जाने वाले व्ययों से संबंधित है।
- ✓ **धारा - 68 एवं 68(क) :** यह धारा नगरपालिका में निहित संपत्ति से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 70 :** यह धारा भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 73 :** इस धारा में संपत्ति के अंतरण(Transfer) और संविदाओं के संबंध में उपबंध किए गए हैं।
- ✓ **धारा – 78 :** यह धारा नगरपालिकाओं को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता/अनुदान के संबंध में है।
- ✓ **धारा – 79 :** यह धारा नगरपालिका निधि से संबंधित है।

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

- ✓ **धारा – 83 :** यह धारा नगरपालिका की अपनी सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 86 :** यह धारा नगरपालिका निधि के विभिन्न लेखा-शीर्षों के अधिशेष धन के निवेश से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 87 और 88 :** यह धाराएं नगरपालिका के बजट प्राक्कलन(Budget Estimate) तैयार करने व उसकी मंजूरी से संबंधित हैं।
- ✓ **धारा – 89 (क) :** यह धारा नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा प्रदान करने हेतु निधि के गठन से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 102 :** यह धारा बाध्यकारी करों से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 104, 105, 106 और 107 :** क्रमशः उपयोक्ता प्रभार, फीस और जुर्माने, विकास प्रभार की वसूली, करारोपण से छूट।
- ✓ **धारा – 111 :** यह धारा कर को स्थगित या प्रतिषिद्ध या उसमें सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 120 :** यह धारा बताती है कि भवन/भूमि पर कर मूलतः किससे वसूल किया जाएगा।
- ✓ **धारा – 121, 122, 123 और 124 :** यह धाराएं कराधान से संबंधित अपीलों के बारे में हैं।
- ✓ **धारा – 131, 132 और 133 :** क्रमशः वे मामले जिनमें वारंट जारी किया जा सकता है। वारंट को लागू करने हेतु बलपूर्वक प्रवेश करने की शक्ति। वारंट को निष्पादित करने की प्रक्रिया।
- ✓ **धारा – 159, 160 :** क्रमशः नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

- ✓ **धारा – 162 :** यह धारा योजना में बाद में किए जाने वाले परिवर्तनों (Subsequent modifications) से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 168 और 169 :** यह धारा नगरपालिका की अप्राधिकृत विकास को हटाने या रोकने की शक्ति से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 173 और 174 :** क्रमशः परियोजनाओं(Projects) और स्कीमों(Schemes) का निर्माण और उनकी विषयवस्तु। प्रोजेक्ट और स्कीमों की तैयारी।
- ✓ **धारा – 178 :** यह धारा प्रोजेक्ट या स्कीम के व्यपगत(Lapse) होने से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 183 :** सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 187 :** यह धारा उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण की फीस और शर्तों से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 190 :** यह धारा फुटपाथ के अनिवार्य उपबंध से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 194 :** यह सभी प्रकार के भवनों के निर्माण या मटेरियल एडिशन/तात्विक परिवर्धन से संबंधित उपबंधों के बारे में है।
- ✓ **धारा – 196 :** यह अनुमति और निर्माण की विशिष्टियों(Particulars) को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाने से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 205 :** यह अन्य व्यक्ति की भूमि या उसकी नाली में से, नाली ले जाने के अधिकार से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 213 और 214 :** क्रमशः नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। नालियों आदि का निरीक्षण।
- ✓ **धारा – 215 :** यह धारा कुछ कार्यों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति से संबंधित है।

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

- ✓ **धारा – 223 :** लाइसेंसधारी प्लंबर, अनुज्ञप्ति (Licence) देने के लिए अर्हता, अनुभव, इनके नियोजन की शर्तें, कृत्य, कार्यों के लिए फीस/शुल्क और शिकायतों की सुनवाई व निपटान आदि।
- ✓ **धारा – 226, 234 और 235 :** क्रमशः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग। जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन एवं हैंडलिंग। परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन एवं हैंडलिंग। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार।
- ✓ **धारा – 238 :** यह वर्षा जल संग्रहण संबंधी उपबंधों से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 238 (क) :** यह धारा पार्किंग स्थान के प्रबंध से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 240 :** यह धारा मार्गों के नाम रखने और मकानों का संख्यांकन करने से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 241 :** यह मूर्तियों की स्थापना से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 243 :** यह खतरनाक भवनों से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 245 :** यह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा उत्पन्न करने से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 248 और 250 :** पशु या पक्षियों की जब्ती। परिसरों के भीतर पशु या पक्षी द्वारा उत्पन्न बाधा या न्यूसेंस।
- ✓ **धारा – 251 :** यह डेयरियों (Dairies) को अनुज्ञप्ति (Licence) दिए जाने से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 252 :** यह कुछ प्रकार के यातायात हेतु सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिबंधित या विनियमित करने की नगरपालिका की शक्ति से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 257 :** यह धारा आग बुझाने के क्रम में अग्निशमन दल और अन्य संबंधित व्यक्तियों की शक्तियों के बारे में है।
- ✓ **धारा – 264 :** यह कुछ प्रकार की कृषि को विनियमित और प्रतिषेध करने की नगरपालिका की शक्ति से संबंधित है।

- ✓ **धारा – 269 :** यह बाजारों, वध-शालाओं और कुछ कारोबारों के लिए लाइसेंस देने से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 273 :** यह नगरपालिका की उन शक्तियों से संबंधित है जिनका प्रयोग खतरनाक रोगों को रोकने हेतु किया जा सकता है।
- ✓ **धारा – 276, 277, 278 और 279 :** कब्रिस्तान और श्मशान। शवों को ले जाने हेतु मार्ग। श्मशान भूमि पर ईंधन आदि की दुकानों के लिए लाइसेंस। अदावाकृत शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति।
- ✓ **धारा – 282 :** यह धारा कुछ व्यवसायों के विनियमन से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 284 :** यह व्यष्टि (Individual) को संबोधित नोटिस, आदेश या बिल आदि की तामील (Service) से संबंधित है। (अर्थात् किसी व्यक्ति को नोटिस, आदेश या बिल का दिया जाना)
- ✓ **धारा – 287 :** स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा डिफॉल्ट (Default/व्यतिक्रम) किए जाने पर नगरपालिका द्वारा किसी कार्य को संपन्न कराया जाना।
- ✓ **धारा – 289 :** अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का विरोध किए जाने पर, हो सकने वाली कार्यवाहियां।
- ✓ **धारा – 292 और 293 :** क्रमशः अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों हेतु किसी भवन या भूमि में प्रवेश। निवारक निरीक्षण।
- ✓ **धारा – 295 :** यह कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति के निर्धारण से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 297 :** यह राज्य नगरपालिका संघ के गठन और उसके कार्यों के निर्धारण से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 304 :** यह नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद (Suit) लाने से संबंधित है।

- ✓ **धारा – 310 :** यह राज्य सरकार की निरीक्षण तथा पर्यवेक्षणकारी की शक्तियों से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 312 :** यह नगरपालिका के आदेश आदि के क्रियान्वयन को निलंबित करने की शक्ति से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 317 :** यह नगरपालिका संबंधी मामलों की राज्य सरकार द्वारा जाँच किए जाने के बारे में है।
- ✓ **धारा – 318 :** यह नगरपालिका में कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 322 :** यह क्षमता न होने या दो-तिहाई से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है।
- ✓ **धारा – 326 :** यह राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन अर्थात् सौंपे जाने से संबंधित है।

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

महत्वपूर्ण तथ्य

- ✓ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 11 सितम्बर, 2009 को निर्मित (राज्यपाल की अनुमति) और 15 सितंबर को लागू (राजपत्र में प्रकाशन के अनुसार) हुआ।
- ✓ नगरपालिका में वार्डों की **संख्या 13 से कम नहीं** होगी।
- ✓ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होता है जिसे राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- ✓ प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है।
- ✓ यदि एक से अधिक वार्ड में नामांकन दाखिल कर दिया गया है तो उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि के शाम 3:00 बजे तक, किसी एक को छोड़कर शेष सभी वार्डों से नामांकन को वापस लेना होगा, अन्यथा माना जाएगा कि सभी स्थानों से नामांकन वापस ले लिया गया है।
- ✓ नगरपालिका सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताओं में शामिल निरर्हता दो से अधिक संतान हों - 27 नवंबर 1995 के बाद जन्मी। इस तिथि से पूर्व जन्मी संतानों को नहीं गिना जाएगा। और एकल प्रसव से जन्मी संतानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा; किसी को गोद या दत्तक दिए जाने पर संतानों की संख्या कम नहीं मानी जाएगी; पूर्व-प्रसव से जन्मी व दिव्यांगता से ग्रस्त संतान को नहीं गिना जाएगा। **(संशोधन, 2021)**
- ✓ किसी अपराध में दोषसिद्धि के कारण आरोपित निरर्हता सजा की कालावधि के बाद जारी नहीं रहेगी।
- ✓ कोई भी मत प्रॉक्सी (किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मतदान किया जाना) के माध्यम से नहीं लिया जाएगा।
- ✓ यदि पदावधि मात्र 6 महीने या इससे कम शेष हो तो उपचुनाव कराना आवश्यक नहीं है।
- ✓ कोई भ्रष्ट आचरण उम्मीदवार स्वयं करता है या उसका अभिकर्ता/एजेंट या इनकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति करता है; तो वह उम्मीदवार का भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।
- ✓ वार्ड परिसीमन, स्थान आवंटन, निर्वाचक नामावली निर्माण या निर्वाचन के संचालन से संबंधित किसी प्रश्न को सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा।

- ✓ यदि समस्त उम्मीदवारों या कुल संख्या के दो-तिहाई या अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है तब राज्य सरकार नगरपालिका का विघटन कर सकती है।
- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग, धारा - 28 (निर्वाचन अपराध) के अधीन किसी निरर्हता को लेखबद्ध कारणों से हटा सकता है या उसकी कालावधि कम कर सकता है।
- ✓ सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि समाप्त होने के बाद भी धारा-39 के अधीन अपराधों के लिए, जाँच की जा सकेगी या जाँच जारी रखी जा सकेगी।
- ✓ यदि कोई व्यक्ति जो नगरपालिका का सदस्य है; सांसद या विधायक या पंचायती राज संस्था का सदस्य बन जाता है तो ऐसे निर्वाचन के 14 दिन के बाद वह नगरपालिका का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह अन्य सदस्यताओं से त्यागपत्र नहीं दे देता।
- ✓ एक तिहाई सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव लाने पर 7 दिन के भीतर-भीतर नगरपालिका की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
- ✓ नगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिस समिति में सदस्य होता है, वह उसका पदेन अध्यक्ष होता है।
- ✓ नगरपालिका राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से करार द्वारा स्थावर संपत्ति या विनिमय द्वारा कोई संपत्ति अर्जित कर सकती है और स्थावर संपत्ति को भाड़े या पट्टे पर ले सकती है या दे सकती है।
- ✓ मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की तालिका और मानचित्र तैयार कराएगा, इनमें परिवर्तनों के संबंध में वार्षिक विवरण नगरपालिका के समक्ष रखेगा और उसकी एक कॉपी निदेशक, स्थानीय निकाय(DLB) के कार्यालय में भेजेगा।
- ✓ नगरपालिका किसी भी लेखा-शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या एक लेखाशीर्ष से दूसरे लेखाशीर्ष में हस्तांतरित कर सकती है; किन्तु इसके लिए वित्त समिति की सिफारिश अनिवार्य है।
- ✓ वार्षिक रूप से वसूले जाने वाले करों का अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी के प्रथम दिवस के अलावा किसी अन्य तिथि से प्रवर्तन नहीं होगा।
- ✓ कर निर्धारक, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कर निर्धारित करते हैं।

- ✓ यदि भूमि-भवन आदि हस्तांतरण की सूचना नहीं दी जाती है तो मूल स्वामी पर कर भुगतान का दायित्व बना रहेगा।
- ✓ कोई भी कराधान संबंधी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि न्यूनतम 25% कर का भुगतान न कर दिया गया हो और अपील नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर-भीतर न की गई हो।
- ✓ करों को वसूल करने का कर्तव्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का है।
- ✓ कुर्क संपत्ति के भुगतान अधिशेष को नगरपालिका निधि में जमा किया जाएगा, डिफॉल्टर को इसका नोटिस दिया जाएगा। यदि वह नोटिस की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर लिखित आवेदन देकर उस पर दावा करता है तो वह वापस कर दी जाएगी और यदि नहीं करता है तो 1 वर्ष बाद वह राशि नगरपालिका की संपत्ति हो जाएगी।
- ✓ बिल, डिमांड नोटिस, वारंट, सूची या उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियों में हुई किसी त्रुटि या उचित प्रारूप के अभाव के कारण कुर्की या विक्रय विधि विरुद्ध नहीं मानी जाएगी और ना ही ऐसा करने वाला प्राधिकारी अतिचारी माना जाएगा।
- ✓ योजना लागू होने के बाद किसी भी समय राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से नगरपालिका बदलाव कर सकती है।
- ✓ राज्य सरकार या नगरपालिका को योजना के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर लगे कि योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है तो राज्य सरकार के आदेश या स्वप्रेरणा से नगरपालिका, नवीन नगरपालिका सर्वेक्षण और भू-उपयोग मानचित्र तैयार करा सकती है।
- ✓ नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु नगर के किसी भी क्षेत्र को **विकास क्षेत्र** घोषित कर सकती है।
- ✓ अस्थायी प्रकृति का विकास क्या है; इस संबंध में नगरपालिका का निर्णय अंतिम होगा।
- ✓ अप्राधिकृत विकास को हटाने, रोकने आदि में हुए व्यय को भू-स्वामी से ही वसूला जाएगा।
- ✓ भवन निर्माता या विकासकर्त्ता और कॉम्प्लेक्स की इकाइयों (घरों) के स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स अधिभोग के लिए तैयार हो; उसके रखरखाव हेतु निवासियों का एक एसोसिएशन और रखरखाव हेतु निकाय निधि का गठन करे।

- ✓ भवन के जल-निकास हेतु नगरपालिका की नाली होगी जो 50 फुट से अधिक दूर नहीं होगी।
- ✓ कोई व्यक्ति जोकि 20 से अधिक कर्मियों को नियोजित करता हो या बाजार, नाट्यशाला, स्कूल के मालिक/प्रबंधक (अर्थात् सार्वजनिक समागम के स्थानों के मालिक/प्रबंधकों) को नगरपालिका शौचालय/मूत्रालय निर्माण का निर्देश दे सकती है।
- ✓ नगरपालिका में उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की संपत्ति हैं।
- ✓ परिसर के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का दायित्व होता है।
    - इसके लिए पृथक-पृथक निस्तारण थैलियां रखनी होंगी (तीन)-
        - ऑर्गेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
        - रीसाइकिलेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
        - डोमेस्टिक हजार्ड्स वेस्ट
- ✓ नगरपालिका क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या अधिक के क्षेत्र पर स्थित या निर्मित प्रत्येक भवन के लिए ऐसे प्रकार और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली जिसे राज्य सरकार उस क्षेत्र के लिए निर्धारित करे, को स्थापित करना व सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।
- ✓ नगरपालिका किसी बात के होते हुए भी त्यौहारों, समारोहों आदि के अवसरों पर अस्थायी अधिभोग करने हेतु (अधिकतम 7 दिन तक) अनुमति दे सकती है।
- ✓ यदि कोई भवन या उसका कोई हिस्सा या उस पर लगी कोई वस्तु जर्जर अवस्था में है और यदि नगरपालिका अपेक्षा करे कि संबंधित भवन या उसके किसी भाग की मरम्मत की जानी चाहिए या उसे हटा दिया जाना चाहिए तो तीन दिन के भीतर-भीतर और आपात स्थिति में तुरंत कार्य किया जाएगा।
- ✓ नगरपालिका समय-समय पर सार्वजनिक बाजारों और वध-शालाओं को स्थापित कर सकती है या बंद कर सकती है; इसके उपयोग के लिए फीस या किराया वसूल सकती है या सार्वजनिक नीलामी द्वारा ऐसे स्थान के अधिभोग के विशेषाधिकार का विक्रय कर सकती

है। नगरपालिका अधिकतम एक वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी या निविदा के माध्यम से दे सकती है।

- ✓ कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकृत अर्थात् लाइसेंसधारी नहीं है, श्मशान भूमि के 300 मीटर के दायरे में ऐसे किसी सामान का विक्रय नहीं करेगा जो उक्त दुकानों हेतु निर्धारित है।
- ✓ नगरपालिका अकिंचन/दरिद्र/कंगालों(Paupers) के नि:शुल्क दफन या दाह के लिए नगरपालिका निधि में से उपबंध कर सकती है।
- ✓ कारखानों में मजदूरों को बुलाने या छुट्टी करने हेतु सायरन का प्रयोग नगरपालिका द्वारा लाइसेंस मिलने पर ही किया जा सकता है। ऐसे लाइसेंस को नगरपालिका 1 माह का नोटिस देकर और सुनवाई का अवसर देकर लाइसेंस वापस ले सकती है।
- ✓ मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका द्वारा इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियम, उप-विधि के किसी भी प्रयोजन से किसी भी भवन या भूमि में सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच सहायकों सहित प्रवेश कर सकता है।
- ✓ इस अधिनियम के तहत देय क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के संबंध में सहमति न बन पाने पर निदेशक, स्थानीय निकाय (DLB) के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी इसका निर्धारण करेगा।
- ✓ किसी प्रकार के लोक-न्यूसेंस/चिढ (Nuisances) या इस अधिनियम के अधीन जारी आदेश या नोटिस के उल्लंघन के लिए अभियोजन अपराध किए जाने के 6 माह के भीतर-भीतर किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। (धारा-298)
- ✓ नगरपालिका अपराधी से समझौता कर सकती है, अभियोजन को वापस ले सकती है।
- ✓ उद्गृहीत कोई भी करस्थम् (Distress) किसी समन, दोषसिद्धि या करस्थम् (Distress) के वारंट या उससे संबंधित अन्य कार्यवाही में प्रक्रियागत त्रुटि के कारण गैर-क़ानूनी नहीं माना जाएगा न ही ऐसा करने वाला अधिकारी अतिचारी/भ्रष्ट माना जाएगा।
- ✓ किसी विशेष कारण से न्यायालय के आदेश के अलावा नगरपालिका के किसी कर्मचारी को किसी भी विधिक कार्यवाही जिसमें नगरपालिका पक्षकार नहीं है; कोई दस्तावेज प्रमाणित करने या साक्षी बनने या गवाह बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी। (धारा-308)

- ✓ राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक, स्थानीय निकाय के रूप में (या किसी अन्य पदनाम से) नियुक्त कर सकती है।
- ✓ आपात स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट किसी कार्य जिसे करने के लिए नगरपालिका सशक्त है और जिसका तुरंत किया जाना जनता के स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु आवश्यक है, के क्रियान्वयन की त्वरित व्यवस्था कर सकेगा, इसमें हुआ खर्च नगरपालिका द्वारा तत्काल किया जाएगा ; यदि नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को जिस की अभिरक्षा में नगरपालिका का कोई धन है या उसे समय-समय पर धन प्राप्त होता है, भुगतान का बाध्यकारी आदेश दे सकता है।
- ✓ राज्य सरकार के पास किसी नगरपालिका में कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने की शक्ति होगी। राज्य सरकार अधिशेष कर्मियों को अन्य नगरपालिका में नियुक्त करने की व्यवस्था कर सकती है।
- ✓ यदि किसी भी समय निर्वाचित सदस्य दो-तिहाई से कम रह जाएं तो नगरपालिका का विघटन कर दिया जाएगा। विघटन का आदेश यथाशीघ्र कारणों सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
- ✓ नगरपालिकाओं तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद : यदि विवाद एक ही जिले की अन्य नगरपालिका या किसी पंचायत से है तो जिला कलक्टर संज्ञान ले सकेगा व उसका निर्णय अंतिम होगा; अन्य सभी मामलों में यह शक्ति संभागीय आयुक्त के पास होगी। इस संदर्भ में कोई भी मामला किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
- ✓ क्षेत्रीय अधिकारिता या कार्यों संबंधी विवाद हो और उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सके तो वे राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और उसका निर्णय अंतिम होगा।

महत्वपूर्ण दंड एवं जुर्माने

- ✓ निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने आदि से जुड़े पदीय-कर्तव्यों की अनुपालना में यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दखलअंदाजी करता है तो वह न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष या 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंड़नीय होगा।
- ✓ निर्वाचक नामावली में झूठी घोषणा किए जाने पर अधिकतम एक वर्ष के कारावास और/या न्यूनतम दो हजार रुपए और अधिकतम पांच हजार रुपए के आर्थिक दंड़ से दंडित किया जा सकेगा।
- ✓ यदि कोई व्यक्ति भवन में संशोधन के प्रयोजनों हेतु सूचना देने में विफल रहता है तो रु.500 तक का जुर्माना या भवन पर तीन माह के समय हेतु दिए जाने वाले कर का 10 गुना (जो भी अधिक हो) का भुगतान नगरपालिका को करेगा।
- ✓ यदि कोई निवासी कर निर्धारण हेतु आवश्यक जानकारी नहीं देता है या गलत देता है तो दोषसिद्धि पर उसे रु.1000 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
- ✓ भूमि के उपयोग परिवर्तन संबंधी मामलों में, स्वप्रेरणा या अन्य व्यक्ति की शिकायत पर उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने और दोषसिद्ध होने पर पाँच हजार रूपए तक का जुर्माना और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन सौ रूपए का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है।
- ✓ यदि कोई व्यक्ति भूमि या भवन का बिना अनुमति के या योजना के उपबंधों का उल्लंघन कर उपयोग करता है या करने की अनुमति देता है तो दोषसिद्धि पर दो हजार रूपए तक का जुर्माना और जारी रहने पर पाँच सौ रूपए प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ अप्राधिकृत विकास हेतु अभियोजित व्यक्ति पर दोषसिद्धि के बाद पाँच हजार रूपए तक जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर दो सौ रूपए प्रतिदिन तक जुर्माना किया जा सकता है। (अप्राधिकृत विकास को हटाना)
- ✓ नोटिस मिलने के बाद भी यदि अप्राधिकृत विकास जारी रखा जाता है तो दोषसिद्धि पर पाँच हजार रूपए तक जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर पाँच सौ रूपए प्रतिदिन तक जुर्माना लगाया जा सकता है। (किए जा रहे अप्राधिकृत विकास को रोकना)

- ✓ सार्वजनिक मार्ग की नियमित सीमारेखा के भीतर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा; यदि किया जाता है तो दो हजार से लेकर पाँच हजार रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है और निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
- ✓ नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा (अनुमति) के बिना मार्ग में न तो लकड़ी जमा की जाएगी और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे और न ही कोई अन्य सामग्री रखी जा सकती है; उल्लंघन करने पर एक हजार से दो हजार रूपए तक जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर पचास से सौ रूपए तक प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ भवनों के निर्माण या मटेरियल एडिशन/तात्विक परिवर्धन के मामले में -
    - निर्धारित सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में तीस हजार से लेकर पचास हजार रूपए तक जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर पाँच सौ रूपए प्रतिदिन तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
    - बिना आवेदन के निर्माण या पुनर्निर्माण किया जा रहा है तो - एक माह से लेकर तीन माह तक का साधारण कारावास और 20 हजार से लेकर 50 हजार रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
    - मंजूर योजना, शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो - 15 दिन से लेकर 45 दिन तक का साधारण कारावास और दस हजार से लेकर बीस हजार रूपए तक जुर्माना लगाया जाता है।
- ✓ अनुमति और निर्माण की विशिष्टियों (Particulars) को उचित रीति से प्रदर्शित नहीं किए जाने पर पचास हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ भवन आदि के मरम्मत आदि कार्यों के दौरान होर्डिंग लगाना आवश्यक है उल्लंघन करने पर एक हजार से दो हजार रूपए तक का जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर पचास से सौ रूपए तक प्रतिदिन का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है।
- ✓ नगरपालिका नाली के सिवाय अन्यथा जल-निकास करने पर दो हजार से लेकर पाँच हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- ✓ किसी को भी मल(विष्ठा) नगरपालिका नाली या निजी नाली में प्रवाहित करने की अनुमति नहीं होगी, उल्लंघन करने पर एक से दो माह के साधारण कारावास और/या दो हजार से पाँच हजार रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ सार्वजनिक मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड: पाँच सौ रूपए तक की शास्ति (Penalty) मौके पर ही आरोपित (अर्थात् इसके कोई नोटिस आदि देना जरुरी नहीं है) की जा सकती है।
- ✓ भवन के बहिर्गत भाग यदि अनुमति के बिना या आदेशों के उल्लंघन में निर्मित किया गया है तो पाँच हजार से दस हजार रूपए तक का जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर पचास से सौ रूपए तक प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ जल संग्रहण प्रणाली और पार्किंग स्थान के प्रबंध संबंधी उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में 7 दिन का कारावास या/और पच्चीस हजार से एक लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ नाम-पट्टी (Name plate) को नष्ट करने या विरूपित करने या नगरपालिका द्वारा स्थापित नाम/संख्यांक से भिन्न कोई नाम/संख्यांक लगाने, आदि स्थिति में एक हजार से दो हजार रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ किसी कोई व्यक्ति मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर अवस्थित मूर्ति को नष्ट करता है या बिना अनुमोदन के या शर्तों का उल्लंघन कर स्थापना करता है, तो 2 महीने से लेकर 6 महीने तक साधारण कारावास और पच्चीस हजार से लेकर पचास हजार रूपए तक आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
- ✓ सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा :
    - जो कोई भी किसी ऐसी भूमि जोकि निजी नहीं है, चाहे वह नगरपालिका की हो या न हो एवं सार्वजनिक मार्ग में नालियों पर बनाई गई सीढ़ियों के अलावा कोई अतिक्रमण करता है तो दोषसिद्धि पर 3 माह से 6 माह तक साधारण कारावास और तीस हजार से पचास हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- यदि अस्थायी बाधा उत्पन्न की गई है तो दोषसिद्धि पर एक माह तक का साधारण कारावास और/या पाँच हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यदि ऐसे स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री हटाई जाती है तो 2 से 6 माह तक का साधारण कारावास और/या तीस हजार से पचास हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यदि अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु उत्तरदायी या कोई नगरपालिका कर्मचारी या प्रतिनियुक्ति पर नगरपालिका आया कर्मचारी स्वयं अतिक्रमण करता है या किसी अन्य की किसी भी प्रकार से मदद करता है या मामले की उपेक्षा करता है तो, दोषसिद्धि पर उसे तीन माह से लेकर तीन वर्ष तक का साधारण कारावास और तीस हजार रूपए तक के आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है।

✓ सार्वजनिक मैदानों पर नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना वाहनों या जानवरों को ठहराए जाने पर, एक हजार से दो हजार रूपए तक जुर्माना एवं उल्लंघन जारी रहने पर पचास से सौ रूपए तक प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है।

✓ नगरपालिका द्वारा प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को प्रतिबंधित या उपयोग को वर्जित किए जाने पर उल्लंघन की स्थिति में तीन महीने तक साधारण कारावास और/या सौ रूपए से लेकर एक हजार रूपए तक के जुर्माने और उल्लंघन जारी रहने पर पचास रूपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

✓ जो कोई अपने नियंत्रणाधीन किसी भवन या भूमि हेतु मलवहन प्रणाली से कनेक्शन नहीं लेता है और अन्यथा मल आदि बहाता है या किसी स्थान पर सोखने देता है; या इसकी अनुमति देता है; न्यूनतम पाँच हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

✓ जो कोई नगरपालिका के अधीन किसी भी जल निकाय को किसी भी तरह प्रदूषित करने या प्रदूषित होने की संभावना वाला कृत्य करता है तो उसे एक हजार से लेकर दो हजार रूपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

✓ क्षोभकारी(Annoying) खेल खेलने पर जिससे वहाँ से गुजरने वाले या पड़ोसियों को खतरा या क्षोभ उत्पन्न होता है या होने की संभावना है तो सौ रुपये से लेकर पाँच सौ रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- ✓ सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर मल-मूत्र विसर्जन करना, नियमों के अनुसार लगाए गए विज्ञापनों को नष्ट किया जाना, खुले वाहन में कोई अपशिष्ट पदार्थ ले जाया जाना - ₹1000 से ₹2000 तक का जुर्माना।
- ✓ लाइसेंस के बिना वध-शालाएं, मांस-मछली की दुकान, होटल, बेकरी, धोबी घाट, आटा चक्की आदि स्थापित करने या लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर ₹1000 से ₹2000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ किसी बाजार में बिना अनुमति के किसी वस्तु को विक्रय करना या विक्रय हेतु प्रदर्शित करने पर एक हजार रूपए से लेकर दो हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ खतरनाक रोगों की रोकथाम हेतु निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किए जाने पर 2000 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ नगरपालिका शव ले जाने हेतु निर्धारित मार्ग के उल्लंघन की स्थिति में ₹1000 से ₹2000 तक जुर्माना लग सकता है। (श्मशान और कब्रिस्तान से जुड़े सभी उल्लंघन संबंधी मामलों में यही जुर्माना निर्धारित है।)
- ✓ संक्रामक रोग से पीड़ित किसी खाद्य, पेय पदार्थ या औषधि को मानव उपभोग हेतु बनाता है या विक्रय करता है; किसी वस्तु या औषधि जो कि दूसरों द्वारा बेची जा रही हो को जानबूझकर छूता है, गंदे कपड़े धोने या उन्हें ले जाने के कारोबार में भाग लेता है तो दोषसिद्धि पर ₹1000 से ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ कारखानों में मजदूरों को बुलाने या छुट्टी करने हेतु नगरपालिका की अनुमति के बिना सायरन का प्रयोग करने पर ₹2000 से लेकर ₹5000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ धारा-284 के तहत दिए गए "व्यक्तिगत नोटिस" की अवज्ञा किए जाने पर ₹2000 तक का जुर्माना एवं आदेश की अननुपालना जारी रहे तो ₹50 प्रतिदिन तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

- ✓ "सार्वजनिक नोटिस" की अवज्ञा किए जाने पर ₹2000 से लेकर ₹5000 तक जुर्माना व आदेश की अननुपालना जारी रहे तो ₹50 से ₹100 तक प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ✓ नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने पर ₹2000 से लेकर ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है।
- ✓ अधिनियम, नियम और उप-विधियों को भंग करने के लिए (जिसका अन्य कहीं निर्धारण नहीं किया गया है) दोषसिद्धि पर ₹2000 से लेकर ₹5000 तक के जुर्माने का प्रावधान। [धारा-291]
- ✓ संपत्ति के विरूपण के लिए पेनल्टी : यदि कोई व्यक्ति किसी लोक संपत्ति को नुकसान पहुँचाता (थूक कर, पेशाब कर, पोस्टर चिपकाकर आदि तरीके से) है तो पहली बार ऐसा किए जाने पर एक वर्ष तक कारावास और/या ₹5000 से लेकर ₹10000 तक जुर्माना, और पुनः किए जाने पर दो वर्ष तक कारावास और/या ₹10,000 से लेकर ₹20000 तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकेगा। [**अध्याय : 12(क) संपत्ति के विरूपण का निवारण धारा - 297(क–ज)**]

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

EO-RO TEST SERIES

Module - 1 (Fees : OFFLINE+ONLINE Rs.1500/- , ONLY ONLINE - Rs.1200/-)

- ✓ **कुल - 25 टेस्ट (15 टॉपिकवाइज, 5 रिवीजन और 5 फुल टेस्ट)**
- ✓ टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराई जाएगी अर्थात् ऑफलाइन टेस्ट देने के साथ-साथ ऑनलाइन टेस्ट देने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी|
- ✓ सभी टेस्ट भारतीय डाक/कोरियर के माध्यम से घर पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध|
- ✓ संशय निवारण सुविधा| (Personal mentoring)

Module – 2 (Fees : Rs.800/-)

- ✓ **कुल - 18 टेस्ट (10 टॉपिकवाइज, 3 रिवीजन और 5 फुल टेस्ट)**
- ✓ टेस्ट सीरीज केवल ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध कराई जाएगी|
- ✓ संशय निवारण सुविधा| (Personal mentoring)

Module – 3 (Fees : Rs.600/-)

- ✓ **कुल - 10 संपूर्ण सिलेबस टेस्ट (फुल लेंथ टेस्ट)**
- ✓ टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराई जाएगी अर्थात् ऑफलाइन टेस्ट देने के साथ-साथ ऑनलाइन टेस्ट देने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी|
- ✓ सभी टेस्ट भारतीय डाक/कोरियर के माध्यम से घर पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध|
- ✓ संशय निवारण सुविधा| (Personal mentoring)

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

EO-RO भर्ती परीक्षा टेस्ट सीरीज(M-1)

DATE	TEST CODE	भाग-अ (सामान्य अध्ययन)	भाग-ब (अधिनियम, नियम एवं योजनाएं)
15 जनवरी	PER-01	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल ▪ ऐतिहासिक राजस्थान **भारतीय राजव्यवस्था :** ▪ संविधान सभा ▪ भारतीय संविधान की विशेषताएं **समसामियिकी**	▪ नगरपालिकाओं का गठन और शासन (धारा-3 से 25 तक) ▪ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
19 जनवरी	PER-02	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ प्रमुख राजवंश: गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार **भारतीय राजव्यवस्था :** ▪ उद्देशिका, मूल अधिकार **समसामियिकी**	▪ नगरपालिकाओं का गठन और शासन (धारा-26 से 50 तक) ▪ इन्दिरा रसोई योजना
23 जनवरी	PER-03	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति:** ▪ प्रमुख राजवंश: राठौड़, सिसोदिया और कछवाहा ▪ मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था **भारतीय राजव्यवस्था :** ▪ राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) ▪ मूल कर्तव्य **समसामियिकी**	▪ कार्य संचालन और वार्ड समिति ▪ नगरपालिका सम्पत्ति ▪ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
28 जनवरी	PER-04	**REVISION TEST - 1**	
1 फरवरी	PER-05	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ आधुनिक राजस्थान का उदय : सामाजिक जागृति के कारक ▪ समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाएं ▪ जनजाति तथा किसान आन्दोलन **भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ राष्ट्रपति ▪ राज्यपाल **समसामियिकी**	▪ नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि ▪ नगरपालिका राजस्व (धारा: 101 से 111 तक) ▪ इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना

05 फरवरी	PER-06	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ प्रजामण्डल आन्दोलन ▪ राजस्थान का एकीकरण **भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ संसद ▪ राजस्थान विधानसभा **समसामियिकी**	▪ नगरपालिका राजस्व (धारा: 112 से 140 तक) ▪ अमृत मिशन
09 फरवरी	PER-07	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ राजस्थान की वास्तु परम्परा **भारतीय राजव्यवस्था :** ▪ प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् **समसामियिकी**	▪ नगरपालिका विकास और नगर योजना (धारा-159 से 185 तक) ▪ हृदय योजना
14 फरवरी	PER-08	**REVISION TEST – 2**	
18 फरवरी	PER-09	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ भाषा एवं साहित्य ▪ धार्मिक जीवन **भारतीय राजव्यवस्था :** ▪ संवैधानिक संशोधन **समसामियिकी**	▪ नगरपालिका विकास और नगर योजना (धारा-186 से 199 तक) ▪ नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध(धारा-200 से 210 तक)
22 फरवरी	PER-10	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ प्रदर्शन कला **राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् **समसामियिकी**	▪ नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध (धारा-211 से 235 तक) ▪ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
26 फरवरी	PER-11	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ मेले एवं त्यौहार ▪ सामाजिक रीति-रिवाज तथा परम्पराएं ▪ वेशभूषा एवं आभूषण **भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन ▪ राजस्थान: उच्च न्यायालय **समसामियिकी**	▪ नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध (धारा-236 से 265 तक) ▪ इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना
03 मार्च	PER-12	**REVISION TEST – 3**	
07 मार्च	PER-13	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ▪ लोक संगीत, लोक नृत्य एवं वाद्ययंत्र ▪ राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत ▪ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल **भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग ▪ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	▪ नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध (धारा-266 से 297 तक) ▪ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

		▪ नीति आयोग **समसामियिकी** **बजट एवं आर्थिक समीक्षा**	
11 मार्च	**PER-14**	**राजस्थान भूगोल :** ▪ प्रमुख भू-आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं ▪ जलवायु की विशेषताएं **भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ केन्द्रीय सतर्कता आयोग ▪ लोकपाल एवं राजस्थान लोकायुक्त **समसामियिकी** **बजट एवं आर्थिक समीक्षा**	▪ अभियोजन, वाद आदि ▪ नियंत्रण ▪ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
15 मार्च	**PER-15**	**राजस्थान भूगोल :** ▪ प्रमुख नदियाँ एवं झीलें ▪ प्राकृतिक वनस्पति **भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग ▪ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग ▪ राजस्थान लोक सेवा आयोग **समसामियिकी** **बजट एवं आर्थिक समीक्षा**	▪ राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय एवं अनुबंध) नियम, 1974 [नियम संख्या-9 तक] ▪ इन्दिरा रसोई योजना ▪ अमृत मिशन
20 मार्च	**PER-16**	**REVISION TEST – 4**	
24 मार्च	**PER-17**	**राजस्थान भूगोल :** ▪ मृदा ▪ प्रमुख फसलें- गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, एवं बाजरा ▪ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल संरक्षण तकनीकें **भारतीय राजव्यवस्था :** ▪ संघवाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीति ▪ गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण ▪ समसामियिकी, बजट एवं आर्थिक समीक्षा	▪ राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय एवं अनुबंध) नियम, 1974 [नियम संख्या-10 से 17 तक] ▪ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ▪ हृदय योजना
28 मार्च	**PER-18**	**राजस्थान भूगोल :** ▪ प्रमुख उद्योग ▪ खनिज सम्पदाऐं ▪ खनिज- धात्विक एवं अधात्विक ▪ ऊर्जा संसाधन परम्परागत एवं गैर-परम्परागत **राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार-पत्र ▪ राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 **समसामियिकी** **बजट एवं आर्थिक समीक्षा**	▪ राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम, 2009 ▪ इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना

01 अप्रैल	PER-19	**राजस्थान भूगोल :** ▪ जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ ▪ पर्यटन स्थल एवं परिपथ ▪ जैव-विविधता एवं इनका संरक्षण **राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं **समसामियिकी** **बजट एवं आर्थिक समीक्षा**	▪ राजस्थान नगरपालिका (समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम), 2009 ▪ इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना
06 अप्रैल	PER-20	REVISION TEST	
10 अप्रैल	PER-21	FULL LENGTH TEST	
14 अप्रैल	PER-22	FULL LENGTH TEST	
18 अप्रैल	PER-23	FULL LENGTH TEST	
22 अप्रैल	PER-24	FULL LENGTH TEST	
26 अप्रैल	PER-25	FULL LENGTH TEST	

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

RECOMMENDED SOURCES	
भाग-अ	
राजस्थान: इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत	▪ RBSE पुस्तकें(कक्षा- 6 से 12) ▪ राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत - **डॉ. हुकुम चंद जैन एवं डॉ. नारायण लाल माली** (हिंदी ग्रन्थ अकादमी) ▪ **'लक्ष्य'** राजस्थान
राजस्थान का भूगोल	▪ RBSE पुस्तकें(कक्षा- 6 से 12) ▪ राजस्थान का भूगोल - **डॉ. हरि मोहन सक्सेना** (हिंदी ग्रन्थ अकादमी) ▪ राजस्थान भूगोल - **ओमकार सिंह गुर्जर एवं हनुमान बेनीवाल** ▪ **'लक्ष्य'** राजस्थान
भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली	▪ RBSE पुस्तकें(कक्षा- 6 से 12) ▪ भारतीय राजव्यवस्था: **डॉ. एम. लक्ष्मीकांत**
राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था	▪ RBSE पुस्तकें(कक्षा- 6 से 12) ▪ राजस्थान: प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था **डॉ. जनक सिंह मीना** (हिंदी ग्रन्थ अकादमी)
समसामियिकी	**मूमल एवं क्रोनोलोजी समसामियिकी**
भाग-ब	
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009	▪ **परख EO-RO पुस्तक:** भाग-1 & भाग-2 ▪ **मूल अधिनियम एवं संशोधन**
नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम	▪ **परख EO-RO पुस्तक:** भाग-1 & भाग-2 ▪ **मूल नियम एवं संशोधन**
राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं	▪ **परख EO-RO पुस्तक:** भाग-1 & भाग-2 ▪ **राजस्थान सरकार योजना विवरण पत्र**

TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

EO-RO TEST SERIES(M-2)

DATE	TEST CODE	भाग-अ (सामान्य अध्ययन)	भाग-ब (अधिनियम, नियम एवं योजनाएं)
05 फरवरी	PER-101	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल ▪ ऐतिहासिक राजस्थान ▪ **प्रमुख राजवंश:** गुहिल, सिसोदिया, प्रतिहार, चौहान, , राठौड़, परमार और कछवाहा **भारतीय राजव्यवस्था :** ▪ संविधान सभा ▪ भारतीय संविधान की विशेषताएं ▪ उद्देशिका **समसामियिकी (मई-जून)**	**नगरपालिका अधिनियम :** ▪ नगरपालिकाओं का गठन और शासन (धारा-3 से 40 तक) **योजना :** ▪ **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)**
10 फरवरी	PER-102	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था ▪ आधुनिक राजस्थान का उदय : सामाजिक जागृति के कारक ▪ प्रजामण्डल आन्दोलन **भारतीय राजव्यवस्था :** ▪ मूल अधिकार ▪ राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) ▪ मूल कर्तव्य **समसामियिकी (जुलाई-अगस्त)** **बजट एवं आर्थिक समीक्षा**	**नगरपालिका अधिनियम :** ▪ नगरपालिकाओं का गठन और शासन (धारा-41 से 50 तक) ▪ कार्य संचालन और वार्ड समिति (धारा-51 से 66 तक) ▪ नगरपालिका सम्पत्ति (धारा- 67 से 75 तक) **योजना :** ▪ **इंदिरा रसोई योजना**
15 फरवरी	PER-103	**राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति :** ▪ राजस्थान का एकीकरण ▪ समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाएं ▪ जनजाति तथा किसान आन्दोलन **भारतीय राजव्यवस्था :** ▪ राष्ट्रपति एवं राज्यपाल ▪ संसद एवं राजस्थान विधानसभा **समसामियिकी (सितंबर-अक्टूबर)**	**नगरपालिका अधिनियम :** ▪ नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि (धारा: 76 से 89 तक) ▪ नगरपालिका राजस्व (धारा: 101 से 110 तक) **योजना :**

		✚ बजट एवं आर्थिक समीक्षा	▪ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
20 फरवरी	*PER-104*	***REVISION TEST - 1***	
25 फरवरी	PER-105	राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति : ▪ राजस्थान की वास्तु परम्परा ▪ भाषा एवं साहित्य ▪ धार्मिक जीवन ▪ मेले एवं त्यौहार भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था : ▪ प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् ▪ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् ✚ समसामियिकी (नवंबर-दिसंबर) ✚ बजट एवं आर्थिक समीक्षा	नगरपालिका अधिनियम : ▪ नगरपालिका राजस्व (धारा: 111 से 140 तक) योजना : ▪ इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना
02 मार्च	PER-106	राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति : ▪ प्रदर्शन कला ▪ सामाजिक रीति-रिवाज तथा परम्पराएं ▪ वेशभूषा एवं आभूषण भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था : ▪ संवैधानिक संशोधन ▪ उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन ▪ राजस्थान: उच्च न्यायालय ✚ समसामियिकी (जनवरी-फरवरी) ✚ बजट एवं आर्थिक समीक्षा	नगरपालिका अधिनियम : ▪ नगरपालिका विकास और नगर योजना (धारा-159 से 199 तक) योजना : ▪ अमृत मिशन
07 मार्च	PER-107	राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति : ▪ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ▪ लोक संगीत, लोक नृत्य एवं वाद्ययंत्र ▪ राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत ▪ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भारतीय राजव्यवस्था : ▪ भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग ▪ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ▪ नीति आयोग ✚ समसामियिकी (मार्च-अप्रैल) ✚ बजट एवं आर्थिक समीक्षा	नगरपालिका अधिनियम : ▪ नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध (धारा - 200 से 235 तक) योजना : ▪ हृदय योजना
12 मार्च	*PER-108*	***REVISION TEST – 2***	
17 मार्च	PER-109	राजस्थान भूगोल : ▪ प्रमुख भू-आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं ▪ जलवायु की विशेषताएं ▪ प्रमुख नदियाँ एवं झीलें भारतीय राजव्यवस्था :	नगरपालिका अधिनियम : ▪ नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध (धारा - 235 से 270 तक)

		▪ केन्द्रीय सतर्कता आयोग ▪ लोकपाल एवं राजस्थान लोकायुक्त ▪ केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग **समसामियिकी (रिवीजन - मई, जून, जुलाई)** **बजट एवं आर्थिक समीक्षा**	**योजना :** ▪ **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)**
22 मार्च	**PER-110**	**राजस्थान भूगोल :** ▪ प्राकृतिक वनस्पति ▪ मृदा ▪ प्रमुख फसलें- गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, एवं बाजरा ▪ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल संरक्षण तकनीकें **राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग ▪ संघवाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीति ▪ गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण **समसामियिकी (रिवीजन - अगस्त, सितंबर, अक्टूबर)** **बजट एवं आर्थिक समीक्षा**	**नगरपालिका अधिनियम :** ▪ नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध (धारा - 271 से 297 तक) ▪ अभियोजन, वाद आदि (धारा - 298 से 308 तक) **योजना :** ▪ **इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना**
27 मार्च	**PER-111**	**राजस्थान भूगोल :** ▪ प्रमुख उद्योग ▪ खनिज सम्पदाऐं ▪ खनिज- धात्विक एवं अधात्विक **भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था :** ▪ मानवाधिकार आयोग ▪ राजस्थान लोक सेवा आयोग ▪ लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार-पत्र ▪ राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 **समसामियिकी (रिवीजन - नवंबर, दिसंबर, जनवरी)** **बजट एवं आर्थिक समीक्षा**	**नगरपालिका अधिनियम एवं नियम :** ▪ नियंत्रण (धारा - 309 से 327 तक) ▪ राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय एवं अनुबंध) नियम, 1974 **योजना :** ▪ **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** ▪ **इंदिरा रसोई योजना** ▪ **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** ▪ **इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना**
01 अप्रैल	**PER-112**	**राजस्थान भूगोल :** ▪ ऊर्जा संसाधन परम्परागत एवं गैर-परम्परागत ▪ जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ ▪ पर्यटन स्थल एवं परिपथ ▪ जैव-विविधता एवं इनका संरक्षण **भारतीय एवं राजस्थान राजव्यवस्था :**	**नगरपालिका अधिनियम एवं नियम :** ▪ राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम, 2009 ▪ राजस्थान नगरपालिका (समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम), 2009 **योजना :**

RECOMMENDED SOURCES

भाग-अ	
राजस्थान: इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत	▪ RBSE पुस्तकें (कक्षा - 6 से 12) ▪ राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत - **डॉ. हुकुम चंद जैन एवं डॉ. नारायण लाल माली** (हिंदी ग्रन्थ अकादमी) ▪ **'लक्ष्य'** राजस्थान
राजस्थान का भूगोल	▪ RBSE पुस्तकें (कक्षा - 6 से 12) ▪ राजस्थान का भूगोल - **डॉ. हरि मोहन सक्सेना** (हिंदी ग्रन्थ अकादमी) ▪ राजस्थान भूगोल - **ओमकार सिंह गुर्जर एवं हनुमान बेनीवाल** ▪ **'लक्ष्य'** राजस्थान
भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली	▪ RBSE पुस्तकें (कक्षा - 6 से 12) ▪ भारतीय राजव्यवस्था: **डॉ. एम. लक्ष्मीकांत**
राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था	▪ RBSE पुस्तकें (कक्षा - 6 से 12) ▪ राजस्थान: प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था **डॉ. जनक सिंह मीना** (हिंदी ग्रन्थ अकादमी)
समसामियिकी	**मूमल एवं क्रोनोलोजी समसामियिकी**
भाग-ब	
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009	▪ **परख EO-RO पुस्तक:** भाग-1 & भाग-2 ▪ **मूल अधिनियम एवं संशोधन**
नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम	▪ **परख EO-RO पुस्तक:** भाग-1 & भाग-2 ▪ **मूल नियम एवं संशोधन**
राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं	▪ **परख EO-RO पुस्तक:** भाग-1 & भाग-2 ▪ **राजस्थान सरकार योजना विवरण पत्र**

		▪ जिला प्रशासन ▪ स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं ▪ समसामियिकी (रिवीजन - फरवरी, मार्च, अप्रैल) ▪ बजट एवं आर्थिक समीक्षा	▪ हृदय योजना ▪ अमृत मिशन ▪ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) ▪ इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना
06 अप्रैल	***PER-113***	***REVISION TEST***	
11 अप्रैल	**PER-114**	**FULL LENGTH TEST**	
16 अप्रैल	**PER-115**	**FULL LENGTH TEST**	
21 अप्रैल	**PER-116**	**FULL LENGTH TEST**	
26 अप्रैल	**PER-117**	**FULL LENGTH TEST**	
30 अप्रैल	**PER-118**	**FULL LENGTH TEST**	

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

EO-RO TEST SERIES (M-3)

DATE	TEST CODE	भाग-अ (सामान्य अध्ययन)	भाग-ब (अधिनियम, नियम एवं योजनाएं)
04 मार्च	PER-301	80 प्रश्न	40 प्रश्न
11 मार्च	PER-302	80 प्रश्न	40 प्रश्न
18 मार्च	PER-303	80 प्रश्न	40 प्रश्न
25 मार्च	PER-304	80 प्रश्न	40 प्रश्न
01 अप्रैल	PER-305	80 प्रश्न	40 प्रश्न
08 अप्रैल	PER-306	80 प्रश्न	40 प्रश्न
15 अप्रैल	PER-307	80 प्रश्न	40 प्रश्न
22 अप्रैल	PER-308	80 प्रश्न	40 प्रश्न
29 अप्रैल	PER-309	80 प्रश्न	40 प्रश्न
06 मई	PER-310	80 प्रश्न	40 प्रश्न

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

1. प्रश्न पत्र में कुल - 120 प्रश्न होंगे ।
2. सभी प्रश्नों के **अंक समान** होंगे ।
3. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दिया जाना चाहिए ।
4. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा ।
5. अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए ओएमआर के केवल एक गोले अथवा बबल को **नीले वॉल प्वाइंट पेन** से गहरा करना है ।
6. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का **एक तिहाई** भाग काटा जायेगा । गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है।
7. किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा ।

RECOMMENDED SOURCES

भाग-अ	
राजस्थान: इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत	▪ RBSE पुस्तकें (कक्षा - 6 से 12) ▪ राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत - **डॉ. हुकुम चंद जैन एवं डॉ. नारायण लाल माली** (हिंदी ग्रन्थ अकादमी) ▪ **'लक्ष्य'** राजस्थान
राजस्थान का भूगोल	▪ RBSE पुस्तकें (कक्षा - 6 से 12) ▪ राजस्थान का भूगोल - **डॉ. हरि मोहन सक्सेना** (हिंदी ग्रन्थ अकादमी) ▪ राजस्थान भूगोल - **ओमकार सिंह गुर्जर एवं हनुमान बेनीवाल** ▪ **'लक्ष्य'** राजस्थान
भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली	▪ RBSE पुस्तकें (कक्षा - 6 से 12) ▪ भारतीय राजव्यवस्था: **डॉ. एम. लक्ष्मीकांत**
राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था	▪ RBSE पुस्तकें (कक्षा - 6 से 12) ▪ राजस्थान: प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था **डॉ. जनक सिंह मीना** (हिंदी ग्रन्थ अकादमी)
समसामियिकी	**मूमल एवं क्रोनोलोजी समसामियिकी**
भाग-ब	
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009	▪ **परख EO-RO पुस्तक:** भाग-1 & भाग-2 ▪ **मूल अधिनियम एवं संशोधन**
नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम	▪ **परख EO-RO पुस्तक:** भाग-1 & भाग-2 ▪ **मूल नियम एवं संशोधन**
राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं	▪ **परख EO-RO पुस्तक:** भाग-1 & भाग-2 ▪ **राजस्थान सरकार योजना विवरण पत्र**

PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE
Visit our Website Join us on Telegram Join us on Whatsapp

विवेश (ICAS Batch-2020)

अभ्यर्थियों द्वारा सामान्यतः यह महसूस किया जाता है कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों की विषयवस्तु तथा विद्यार्थी के पास उपलब्ध विषयवस्तु में एक अंतराल बना रहता है। यह किताब प्रतियोगी परीक्षाओं के इसी अंतराल को दूर करने का एक सार्थक प्रयास है।

पुनीत बिजरानियाँ (IPoS Batch-2013)

विधि जैसे तकनीकी विषय सामान्य विद्यार्थी के लिए अध्ययन की चुनौती प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत किताब इसी चुनौती को दूर करती है। विधि जैसे तकनीकी विषय को आसान भाषा में समझाया गया है। आशा है प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी इस किताब की आसान विषयवस्तु तथा अभ्यास प्रश्नों से लाभान्वित होंगे।

रामकिशन (IPTAF Batch-2021) (RAcS-2013)

सराहनीय पुस्तक। केवल महत्वपूर्ण विषयवस्तु का समावेश किया गया है। अनावश्यक, जटिल एवं उबाऊ विवरणों से बचते हुए सिलेबस के अध्ययन को रोचक बनाने का सफल प्रयास किया गया है।

अमित कुमार (RTS Batch-2018)

उक्त पुस्तक की भाषा शैली गागर में सागर जैसी है। परीक्षा पाठ्यक्रम के गहन विश्लेषण के पश्चात संदर्भित विषयवस्तु को छान-छान कर उपलब्ध कराया गया है। निश्चित रूप से यह पुस्तक आपकी लक्ष्य यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी।

प PARAKH
TEST YOUR COMPETITIVE EDGE

26, Shri Krishna Nagar, Patrakar Colony, Mansarovar, Jaipur-302020

CONTACT/WHATSAPP US : 8769753855, 7303889420